स्वच्छ भारत

कार्यालय जिला पंचायत, नारायणपुर (छत्तीसगढ़)

दूरभाष :- 07781-252288 फैक्स 07781-252287 Email : zp-narayanpur.cg@nic.in

-:: प्रेस विज्ञप्ति ::-

जिला पंचायत नारायणपुर में जिला समन्वयक - 01 (अनारक्षित) एवं सहायक जिला समन्वयक - 01 (अनारक्षित) पद की संविदा नियुक्ति हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के अर्हताधारी एवं इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए दिनांक 22.01.2018 सायं 5.00 बजे तक विहित नियम एवं शर्तो के अधीन निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र केवल स्पीड एवं रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आंमत्रित किया जाता है। नियम/शर्ते व शैक्षिणिक योग्यता का अवलोकन जिले के वेब साईट **www.cgstate.gov.in, www.zpnarayanpur.gov.in & www.narayanpur.gov.in** एवं कार्यालय के सूचना पटल पर किया जा सकता है।

आदेशानुसार
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत नारायणपुर

पृ.क्र./ 6714 /जि.प./स्था./2017-18 नारायणपुर दिनांक 05.01.2018

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, जिला नारायणपुर को सादर सूचनार्थ।
2. जिला सूचना अधिकारी,NIC नारायणपुर उक्त प्रेस विज्ञप्ति जिले की वेबसाईट **www.zpnarayanpur.gov.in & www.narayanpur.gov.in** पर अपलोड करने हेतु (विज्ञापन PDF में)
3. सहायक जनसंपर्क अधिकारी को सूचनार्थ कर, लेख है कि उक्त प्रेस विज्ञप्ति प्रचलित समाचार पत्र में प्रकाशित करें

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत नारायणपुर

कार्यालय जिला पंचायत, नारायणपुर (छत्तीसगढ़)

दूरभाष :- 07781-252288 फैक्स 07781-252287, Email : ceozpnarayanpur@gmail.com

-:: संविदा नियुक्ति हेतु विज्ञापन ::-

कमांक / 6688 / जि0पं0 / स्था. / RGSA / 2017-18 नारायणपुर दिनांक 05.01.2018

छ0ग0 शासन पंचायत एवं ग्रमीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर के आदेश कमांक / 22 / पं.ग्र.वि.वि. / RGSA / 144 / 2017 / 541 दिनांक 15.03.2017 एवं पत्र कमांक / पंचा. / RGSA / 144 / 2017 / 445 / दिनांक21.12.2017 एवं आदेश कमांक / 22 / पं.ग्र.वि.वि. / RGSA / 144 / 2017 / 429 दिनांक 14.12.2017 में दिये गये निर्देशानुसार जिला स्तर पर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान अंतर्गत स्वीकृत जिला समन्वयक – 01 (अनारक्षित) एवं सहायक जिला समन्वयक – 01 (अनारक्षित) पद की संविदा नियुक्ति हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के अर्हताधारी एवं इच्छुक अभ्यर्थियों छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों के लिए दिनांक 22.01.2018 सायं 5.00 बजे तक विहित नियम एवं शर्तो के अधीन निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र केवल स्पीड एवं रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आंमत्रित किया जाता है।

पद का विवरण :-

क	पद का नाम	रिक्त पद की संख्या	अनारक्षित					अन्य पिछड़ा वर्ग					अनुसूचित जनजाति					अनुसूचित जाति				
			मुक्त	महिला	विकलांग	भू.पू.सैनिक	योग	मुक्त	महिला	विकलांग	भू.पू.सैनिक	योग	मुक्त	महिला	विकलांग	भू.पू.सैनिक	योग	मुक्त	महिला	विकलांग	भू.पू.सैनिक	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	जिला समन्वयक	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	सहायक जिला समन्वयक	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	योग :-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

विज्ञापन की विस्तृत जानकारी नियम, शर्ते एवं आवेदन पत्र का प्रारूप आदि कलेक्ट्रड नारायणपुर कार्यालय तथा जिला पंचायत नारायणपुर के सूचना पटल एवं वेवसाईट www.zpnarayanpur.gov.in, narayanpur.gov.in & www.cgstate.gov.in पर देखी जा सकती है।

E:VACENCEY/MGNREGA/VISHU/2016-17

विज्ञापन की विस्तृत जानकारी, नियम एवं शर्ते :–

शैक्षणिक योग्यता :–

क्र.	पदनाम	वेतनमान	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता
1	2	3	4
1	जिला समन्वयक	35,000 एकमुश्त	1. बी.ई. / बी.टेक.(कम्प्यूटरसाईस / आईटी) / एम.सी.ए मे न्यूनतम 60% अंक के साथ उत्तीर्ण। 2. शासकीय संस्थान से डाटाबेस / प्रोग्रामिंग संबंधित कार्यो का कम से कम 02 वर्ष का अनुभव।
2	सहायक जिला समन्वयक	25,000 एकमुश्त	1. मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से / संस्थान से ग्रामीण विकास / ग्रामीण प्रबंधन में स्नातकोत्तर न्यूनतम 60% अंक के साथ उत्तीर्ण। 2. शासकीय संस्था से 01 वर्ष का समान कार्य का अनुभव।

नियम व शर्ते :–

1. निर्धारित प्रारूप में आवेदन बंद लिफाफे में, केवल स्पीड एवं रजिस्टर्ड डाक से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत के नाम से दिनांक 22.01.2018 तक कार्यालयीन दिवस एवं समय 5.00 बजे तक प्राप्त किये जावेगे। व्यक्तिगत रूप से सीधे आवेदन स्वीकार नही किये जावेगे। निर्धारित समय–सीमा के पश्चात प्राप्त आवेदनो पर विचार नही किया जायेगा।
2 संविदा नियुक्ति छ.ग. शासन द्वारा जारी संविदा नियम 2012 में निहित शर्तो के अनुसार की जावेगी।
3. शासन के नियमानुसार आरक्षण रोस्टर का पालन किया गया है।
4. संविदा नियुक्ति उम्मीदवार के कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 28.02.2019 तक के लिए होगी, तत्पश्चात् नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा कार्य योग्यता, कार्य क्षमता एवं व्यवहार तथा विभाग के आवश्यकता के आधार पर व संविदा नियुक्ति व्यक्ति की उपयुक्तता का आंकलन कर आगे बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकेगा। संविदा नियुक्ति की अवधि की समाप्ति पर संविदा नियुक्ति स्वयंमेव समाप्त मानी जावेगी।
5. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में 18 दिनों के आकस्मिक अवकाश एवं 03 दिनों के ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी, वर्ष के मध्य में नियुक्ति होने अथवा सेवामुक्त होने पर आकस्मिक अवकाश की पात्रता की गणना पूर्ण महिनों के लिए अनुपातिक आधार पर किया जावेगा। गणना के अपूर्ण दिवस को आगामी पूर्ण दिवस में पूर्णांकित किया जावेगा।

6. संविदा नियुक्ति पद की गई नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है, एवं बिना कारण बताए कभी भी समाप्त की जा सकती है।

7. सेवा सामाप्ति के पश्चात कर्मचारी को किसी भी प्रकार की पेंशन भत्ता या अन्य राशि प्रदान नही की जावेगी।

8. अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। समक्ष अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करे।

9. छ.ग. सिविल सेवा (संविदा भर्ती नियम) 2012 के अनुसार दिनांक 01.01.2018 की स्थिति में न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। अजा/अजजा/अपिव/निःशक्त/भूतपूर्व सैनिक आदि के आवेदको को छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी समय-समय पर आयु सीमा में छूट संबंधी आदेश निर्देश लागु होगे। सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों के मामले में संविदा नियुक्ति अधिकतम 10 वर्ष की अवधि के लिए या 70 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो के लिये दी जा सकेगी।

10. आयु संबंधी प्रमाण पत्र के लिए हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल अथवा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट प्रमाण मान्य होगा।

12. आवेदन के साथ वांछित प्रमाण पत्रों एवं अंक सूची स्वप्रमाणित होने चाहिए। वांछित प्रमाण पत्र सत्यापित नही होने पर आवेदन अमान्य कर दिया जावेगा। इसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा।

13. यह नियुक्ति माननीय न्यायालय द्वारा पारित रिट पीटीशन (सी) कमांक 591/2012, 2012, 592/2012, 593/2012 एवं 594/2012 के अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन होंगी।

14. आवेदन पत्र प्रारूप के अनुसार ए-4 साईज आकार के कागज पर आवेदन करें। आवेदन पत्र पूर्ण रूप से साफ-साफ अक्षरों में भरा जाना चाहिये। आवेदन पत्र में पासपोर्ट साईज का स्वयं सत्यापित रंगीन नवीनतम फोटो चिपकाना एवं स्वयं का पता लिखा दो लिफाफा (5 रू. डाक टिकट के साथ) संलग्न करना अनिवार्य है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन एवं सीधे प्राप्त आवेदन स्वीकार्य नही होंगे।

15. लिफाफे के ऊपर एवं आवेदन पत्र में पद का नाम, जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है, स्पष्ट उल्लेख किया जावे। अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों पर कोई विचार नही किया जावेगा एवं आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा। जिसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा।

16 शासकीय, अर्द्धशासकीय, स्वशासी संस्थानाओं में नियमित पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को अपने नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।

17. आवेदक का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना आवश्यक है। पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करें।

18 यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन कमांक एफ 9-1/2012/1-3 दिनांक 31.12.2012 के अनुसार संविदा नियुक्ति के संबंध में समस्त शर्ते लागू होगे।

19 संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होगे।

20. **आवेदक जो पात्र नही होंगे :–**

i. महिलाओं के लिए 18 वर्ष एवं पुरूषों के लिए 21 वर्ष से कम आयु में विवाह करने वाले उम्मीदवार नियुक्ति के लिए पात्र नही होंगे। ऐसे उम्मीदवार आवेदन न करे।

ii. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि तक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं कार्य अनुभव नही होने पर आवेदन निरस्त कर अपात्र कर दिया जाएगा।

21. **नियुक्ति का तरीका :–**

i. प्राप्त आवेदन पत्रों की सूक्ष्म जांच की जाकर मेरिट सूची तैयार की जायेगी, जो स्वीकृत पदो के पांच गुना होगा।

ii. तैयार मेरिट सूची से अभ्यार्थियों को मूल प्रमाण पत्रों की जांच एवं साक्षात्कार हेतु बुलाया जायेगा।

iii. मूल प्रमाण पत्रों की जांच/साक्षात्कार के उपरांत योग्य अभ्यार्थी की नियुक्ति का आदेश संबंधित अधिकारी द्वारा जारी किया जावेगा।

iv. चयनित अभ्यार्थियों के साथ 03 अभ्यर्थियों तक की प्रतीक्षा सूची जारी की जाएगी जो कि एक वर्ष के लिए मान्य होगी।

v. उपरोक्त पदो की मेरिट सूची न्यूनतम अर्हता के अंको का अधिभार 70 प्रतिशत, शासकीय संस्थानों का कार्य अनुभव 20 अंक (प्रतिवर्ष 05 अंक अधिकतम 20 अंक) साक्षात्कार 10 अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा। अनुभव प्रमाण पत्र न्यूनतम जिला स्तरीय अधिकारी के द्वारा जारी किया गया हो तब मान्य होगा।

22. विज्ञापित पदों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है।

23. प्राप्त आवेदनों के संबंध में अधोहस्ताक्षरकर्ता का निर्णय अंतिम एवं सर्व मान्य होगा।

24. नियुक्ति आदेश के पूर्व समस्त मूल प्रमाण पत्रों की जांच सही पाये जाने पर ही नियुक्ति आदेश प्रदान किया जावेगा।

25. नियुक्ति के पश्चात् जिला के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अयोग्य पाये जाने की स्थिति में नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

5/1/18

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत नारायणपुर

E:VACENCEY/MGNREGA/VISHU/2016-17

कार्यालय जिला पंचायत नारायणपुर, जिला – नारायणपुर (छ0ग0)

:: आवेदन पत्र का प्रारूप ::–

जिस पद के लिए आवेदन किया जा है,

का पदनाम..

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,

जिला पंचायत नारायणपुर

1. आवेदक /आवेदिका का पूरा नाम (हिन्दी में) :...

   (अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में) :...

2. पिता / पति का नाम (हिन्दी में) :...

   (अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में) :...

3. लिंग (पुरूष / महिला) :...

4. जन्म तिथि (अंको में) वर्ष...................माह.........................दिन.......................

   (शब्दों में) :...

5. दिनांक 01.01.2018 को आयु :...

6. जाति / वर्ग (अजजा / अजा / अपिव / अनारक्षित) :...

7. शैक्षणिक योग्यता / तकनीकी दक्षता की जानकारी (पद के लिए न्यूनतम योग्यता से शुरू करें)

कं.	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	बोर्ड / वि.वि / संस्था का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	पूर्णाक	प्राप्तांक	प्रतिशत	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							

8. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन है/नही :..

9. क्या आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी है :..

10. जिले का नाम :..

11. स्थायी पता :..

:..

:..

:..

12. पत्र व्यवहार का पूरा पता :..

:..

:..

:..

फोन/मोबाईल नम्बर :..

13. कार्यानुभव (अनुभव प्रमाण पत्र व आदेश की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

क.	विभाग का नाम	पदनाम	अवधि

14. क्या आप दिव्यांग है। :..

15. क्या आप आयु सीमा में छूट का दावा करते है यदि हां तो।

श्रेणी :..

संलग्न सत्यापित प्रमाण पत्रों की छायाप्रति की सूची :-

1.. 2..

3.. 4..

5.. 6..

7.. 8..

9.. 10..

आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषित करता /करती हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत सभी जानकारी पूर्णतः सत्य है, इनमें कोई जानकारी गलत/असत्य पाए जाने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा तथा मेरे विरूद्व कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी। इन परिस्थितियों में नियुक्तिकर्ता अधिकारी को बिना बताए मेरे आवेदन /चयन नियुक्ति को निरस्त करने का अधिकारी होगा एवं उसका निर्णय मुझे मोन्य होगा।

दिनांक –

स्थान –

आवेदक के हस्ताक्षर

(नाम एवं पूर्ण पता)